

11/02/2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में  
पेक्षा हुई। यदि उपायित है वकील  
वादी उक्त है वादी एवं वकील वादी को  
सुना जाकर पत्रावली पर लोक अदालत  
आवना को अवलोकन मंजूर किया  
गया। प्र. सं. 2 का इकबालिया जवाब  
एवं वादी के साक्ष्य अथ दस्तावेज अथ  
पेक्षा पर पेक्षा हो चुके हैं प्र. सं. 1 का  
जवाब बैंड हो चुका है अतः वादी का  
बाद लोक अदालत आवना को सुनायिका  
प्रार्थना अनुसार स्वीकार किया जाकर  
वादी का नाम "राजू पुत्र शैलराम" के  
स्थान पर रामलाल पुत्र शैलराम" किया  
जाये के आदेश दिये जाते हैं किन्तु  
विगत पुस्तक को देखते होकर अगिल  
मिल हो। पत्रावली में सुनाद होकर  
बाद तकमिल कास्टिल हफ्तर हो। विगत  
लोक अदालत में सुनाया जाकर अरे  
हस्ताक्षर व अस्थालय सुना रहे जाते  
किया गया।

मना

सहायक कलेक्टर  
सांभल लोक (सांभलपुर)